



प्रेस नोट

थाना – हापुड नगर

दिनांक 24.03.2023

थाना हापुड नगर पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अफजाल व इकरार की अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति (क्रमशः कार व मोटरसाइकिल) को जब्त किया गया ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड नगर पुलिस द्वारा थाना हापुड देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अपराधी अफजाल व मु0अ0सं0 167/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अपराधी इकरार द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति (क्रमशः कार व मोटरसाइकिल) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में जब्त किया गया है ।



कुर्क की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित अभियुक्त का विवरण:-

1. अफजाल पुत्र शमशाद निवासी 174 रशीदनगर बनिया वाला खेत थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ ।
2. इकरार पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण:-

1. मारुति स्विफ्ट वीडिआई कार नं0 UP 15BK 6973 सम्बन्धित अभियुक्त अफजाल ।
2. मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नं0 UP 37R 4147 सम्बन्धित अभियुक्त इकरार ।

कुर्क की कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय पाण्डेय थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
2. निरीक्षक श्री बलराम सिंह थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री महन्थराज यादव थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
4. का0 536 मोनू नैन थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।